

4. साहित्य कमियों के लिए एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जाय जिससे उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने तथा उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था हो सके।

5. राजधानी तथा देश के सभी नरों में लेखकों के लिए एक सार्वजनिक केन्द्र की स्थापना की जाय। जहाँ वे मिल कर साहित्यिक चर्चा कर सकें।

मैं आशा करती हूँ कि उपरोक्त मुद्दों पर विचार करते हुए भारत सरकार इन दिशा में सार्थक कदम उठावेगी। जिससे इन महान साहित्यिक विभूतियों के प्रति अपनी तज्ज्ञता सार्थक रूप में व्यक्त कर सकें।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) :
मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, your name will be associated.

Treatment meted out to Writers assigned by Government Institutions to Write for Specific Projects

श्रीमती अमृता प्रीतम (नाम-निर्दिष्ट):
मैडम, डिप्टी चैयरमैन, सरकारी संस्थाएँ किसी प्रोजेक्ट को लेकर जब अदीबों से कांटेक्ट करती हैं तो एक तारीख मुक़र्रर की जाती है—डैड लाइन डेट। लेकिन फिर अदीबों को मेहनत दफ़्तरों की फ़ारलों में न जाने कितने सालों पड़ी रहती है। चाहती हूँ ऐसे एकतरफ़ा कानून की ओर तबज़्जो दी जाए और जिस काम का अरसा काम करने वालों के लिए मुक़र्रर किया जाता है उसे इम्प्लीमेंट करने का कोई अरसा क्यों नहीं मुक़र्रर किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बदल दिया जाता है या कई सालों के लिए मुलाख़ी हो जाता है और अदीबों को उसकी कोई उजरत नहीं दी जाती। इन दिनों एन०सी०ई०आर०टी० ने कितने ही साहित्यकारों को स्क्रिप्ट्स लौटा दिये हैं

या लौटाये जा रहे हैं। लिखकर नहीं दिया जबानी कह दिया कि उनका प्रोजेक्ट मुलतबी हो गया है। कई बार तो स्क्रिप्ट भी लौटाये नहीं जाते। केन्द्रीय हिन्दी डायरेक्टोरेट से कुछ अदीबों ने सात-सात साल के बाद अपने स्क्रिप्ट्स वापस लिये। ये सब कागज़ात, हवाले मेरे पास मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह मसला उठा रही हूँ और चाहती हूँ कि इस एक तरफ़ा कानून को दो तरफ़ा कर दिया जाये।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) :
मैं भी इसका समर्थन करती हूँ।

श्रीमती बीणा वर्मा (मध्य प्रदेश) :
मैं भी इसका समर्थन करती हूँ।

Reported Clearance to Shri Ajitabh Bachchan from FERA Violation Charges

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam, the basis of the special mention that I make is a report that an Indian national resident in the country by the name of Shri Ajitabh Bachchan owning vast assets in India plus business worth crores of rupees has been cleared on FERA charges of illegally owning a flat worth around Rs. 70 to 85 lakhs in Switzerland.

Madam, this rule by cronies, of the cronies, only for the cronies has now really crossed all bounds. A Chaddha is recently exonerated, having been charged only with the most trivial of offences. A Lalit Suri eats up roughly Rs. 6-1/2 crores, stashes that money in London for four years and the Government bends over backwards to clear him of all charges. And now we have this report that this long-pending matter about which this House and the other House have often been concerned, has been cleared; this matter of the Bachchan flat in Switzerland has been cleared. Now, I do not know when this was cleared, whether this fact is correct, whether any such action has been taken by the Government of India, and if it